डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 98 / 14 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस सख्या :– 2014 / 00041

उनवान

1. बसंत कुमार
2. गजपत
3. रामबाबू

} पुत्र लक्ष्मीनारायन

4. दरवो विधवा लक्ष्मीनारायन(मृतक)

} जाति ब्राह्म्ण निवासी उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. लहरीचरन पुत्र गनपत जाति ब्राहम्ण निवासी ऊँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)
   - 1 / 1. संतोष
   - 1 / 2. प्रहलाद
   - 1 / 3. धर्मेन्द्र

   } पिस0 लहरीचरन

   1 / 4. तारावती पत्नी लहरीचरन

   - 2. जगमोहन
   - 3. ओमप्रकाश
   - 4. दशरथ
   - 5. राजू

   } पिस0 गनपत

   } जाति ब्राहम्ण निवासी उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।
6. विद्या पुत्री गनपत पत्नी जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम होरी टीला के पास बरसाना तहसील छाता जिला मथुरा (उ0प्र0)
7. राजेन्द्र पुत्र कलुआ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव हाल आबाद अनाह गेट भरतपुर।
8. हरेन्द्र पुत्र कलुआ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव हाल आबाद बयाना पंचायत समिति के पास बयाना भरतपुर।
9. महेन्द्र पुत्र कलुआ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव हाल आबाद बयाना पंचायत समिति के पास बयाना भरतपुर।
10. भूपेन्द्र पुत्र कलुआ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव हाल आबाद रामा ट्रौली रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
11. विमला पुत्री कलुआ पत्नी रामकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी बछामदी हाल आबाद हरिजन मौहल्ला अनाह गेट भरतपुर।
12. मोहन मुरारी पुत्र सुखदर्शन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।
13. ताराचन्द पुत्र यादी जाति ब्राहम्ण निवासी उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।
14. सरमन पुत्र यादी जाति ब्राहम्ण निवासी उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)
    - 14 / 1. रामगोपाल
    - 14 / 2. मुकेश

    } पुत्र सरमन

    14 / 3. विमला देवी पत्नी सरमन

    } जाति ब्राहम्ण नि0 उँचा गॉव तह0 व जिला भरतपुर।
15. प्रीतम पुत्र यादी जाति ब्राहम्ण निवासी उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

16. कल्लो पुत्री यादी पत्नी दीवान जाति ब्राहम्ण निवासी रैना तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)

16/1. दीवान पत्नी स्व0 कल्लो
16/2. बनवारी पुत्र दीवान
16/3. अमृत पुत्र दीवान
} जाति ब्राहम्ण नि0 रैना तहसील नदबई जिला भरतपुर।

16/4. द्रोपती पुत्री दीवान पत्नी अर्जुन जाति ब्राहम्ण निवासी पीडी अस्तावन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

16/5. बृजवाला पुत्री दीवान पत्नी महेन्द्र सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी पीडी अस्तावन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

17. महादो पुत्री यादी पत्नी गंगा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रैना तहसील नदबई जिला भरतपुर।

18. पुस्ती पुत्री यादी पत्नी बालकिशन निवासी ग्राम सेवर तहसील व जिला भरतपुर।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 30.05.14 मि.नं. 125/09 उनवान रूप कुमार बनाम गनपत।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पुरूषोत्तम मुदगल उपस्थित।

यह अपील .20.....माह.....02.....सन्...2024.....व हमारे..... कृष्ण कुमार सिंघल ..... मिनजानिब अपीलाण्ट व़ श्री पुरूषोत्तम मुदगल .रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... है कि अपील अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2014 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के

आज तारीख.....20.....माह.....02....सन्.....2024.....को जारी की

20-02-2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 98/14 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2014/00041

उनवान

1. बसंत कुमार
2. गजपत
3. रामबाबू

} पुत्र लक्ष्मीनारायन

4. दरवो विधवा लक्ष्मीनारायन(मृतक)

} जाति ब्राहम्ण निवासी उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. लहरीचरन पुत्र गनपत जाति ब्राहम्ण निवासी ऊँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)
   - 1/1. संतोष
   - 1/2. प्रहलाद
   - 1/3. धर्मेन्द्र

   } पिस0 लहरीचरन

   1/4. तारावती पत्नी लहरीचरन

   2. जगमोहन
   3. ओमप्रकाश
   4. दशरथ
   5. राजू

   } पिस0 गनपत

   } जाति ब्राहम्ण निवासी उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।
6. विद्या पुत्री गनपत पत्नी जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम होरी टीला के पास बरसाना तहसील छाता जिला मथुरा (उ0प्र0)
7. राजेन्द्र पुत्र कलुआ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव हाल आबाद अनाह गेट भरतपुर।
8. हरेन्द्र पुत्र कलुआ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव हाल आबाद बयाना पंचायत समिति के पास बयाना भरतपुर।
9. महेन्द्र पुत्र कलुआ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव हाल आबाद बयाना पंचायत समिति के पास बयाना भरतपुर।
10. भूपेन्द्र पुत्र कलुआ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव हाल आबाद रामा ट्रौली रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
11. विमला पुत्री कलुआ पत्नी रामकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी बछामदी हाल आबाद हरिजन मौहल्ला अनाह गेट भरतपुर।
12. मोहन मुरारी पुत्र सुखदर्शन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।
13. ताराचन्द पुत्र यादी जाति ब्राहम्ण निवासी उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।
14. सरमन पुत्र यादी जाति ब्राहम्ण निवासी उँचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

14/1. रामगोपाल } पुत्र सरमन } जाति ब्राहम्ण नि0 उॅचा गॉव तह0 व जिला भरतपुर।
14/2. मुकेश }
14/3. विमला देवी पत्नी सरमन }
15. प्रीतम पुत्र यादी जाति ब्राहम्ण निवासी उॅचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर।
16. कल्लो पुत्री यादी पत्नी दीवान जाति ब्राहम्ण निवासी रैना तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)
16/1. दीवान पत्नी स्व0 कल्लो } जाति ब्राहम्ण नि0 रैना तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16/2. बनवारी पुत्र दीवान }
16/3. अमृत पुत्र दीवान }
16/4. द्रोपती पुत्री दीवान पत्नी अर्जुन जाति ब्राहम्ण निवासी पीडी अस्तावन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
16/5. वृजवाला पुत्री दीवान पत्नी महेन्द्र सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी पीडी अस्तावन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
17. महादो पुत्री यादी पत्नी गंगा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रैना तहसील नदबई जिला भरतपुर।
18. पुस्ती पुत्री यादी पत्नी बालकिशन निवासी ग्राम सेवर तहसील व जिला भरतपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 30.05.14 मि.नं. 125/09 उनवान रूप कुमार बनाम गनपत।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पुरूषोत्तम मुदगल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–20.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि उभयपक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं। वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर (राज.)

चाहिये थी। भाईयो के नाम प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अकेले की खातेदारी नहीं हो सकती। यदि कुछ आराजी क्रय भी की है तो वह संयुक्त आय से खरीदी है। अतः वह सभी भाईयो की मानी जावेगी। पूर्व में एक दावा अपीलाण्ट के पिता व रैस्पो0 के मध्य चला जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तक रिमाण्ड किया गया। परन्तु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रिमाण्ड होने के बाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। इस प्रकार उस निर्णय में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ। इस प्रकार नया दावा लाने से किसी पक्षकार को रोका नहीं जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में जिरह में गणपत ने तीनो भाईयो का अलग–अलग होना बताया एवं लक्ष्मीनारायण को अपने पिता के साथ ही रहना बताया। इस प्रकार अलग–अलग जमीन काश्त करने को दिया जाना स्वीकार किया है। लक्ष्मीनारायण को कोई अलग जमीन नहीं दी। केवल 28 बीघा पिता के पास रही। जबकि पूर्वजो की जमीन 90 बीघा होना स्वीकार किया है। 90 बीघा में से 17 बीघा गणपत ने अपने पास बताया। लक्ष्मीनारायण पूर्वजो की भूमि में चौथाई का हिस्सेदार था। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के समय अपीलाण्ट की उम्र 10–11 साल थी। बयानो से काश्त व कब्जा स्वतः साबित हो रहा है। पूर्व दावा डिक्री हुआ था जिसकी अपील रैस्पो0 ने की थी। पूर्व दावे में रैस्पो0 ने इकबाल दावा पेश किया था। दिनांक 30.06.1967 को लक्ष्मीनारायण के पक्ष में राजीनामा दिया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, सभी भाईयो को विवादित आराजी में 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 1986 पेज 79, आरआरडी 2017 पेज 437, 2008 पेज 350, 2002 पेज 227, 1995 पेज 208, 1991 पेज 410, 1997 पेज 381, 1983 पेज 310, आरआरटी 2012 पेज 223, 2016 पेज 1387 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीनं आदेश विधि अनुरूप है। जिसमे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह है कि रैस्पो0 अपने पिता के जीवनकाल में ही अलग हो गये थे एवं उन्होनें अपनी फसल एवं अन्य कार्य करके धन अर्जित कर कुछ आराजी स्वयं क्रय की थी। अतः कुछ आराजी स्वःअर्जित है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में स्वच्छ हाथो से नहीं आये एवं ना ही यह बता पाये कि कौनसी आराजी स्वःअर्जित हैं एवं कौनसी आराजी पैतृक आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय में सभी भाई बहिनो के बयान हुये हैं। विवादित आराजी पर 50 वर्ष पूर्व से रैस्पो0 का ही कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। शोभाराम की मृत्यु के पश्चात् शोभाराम की जमीन 30 बीघा में से सभी भाईयो को बराबर का हिस्सा मिल चुका है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अलग होकर सम्पत्ति स्वःअर्जित करना पैतृक सम्पत्ति कैसे मानी जा सकती है। पूर्व में भी एक दावा प्रस्तुत हुआ था जो माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर तक चला। अतः प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा भी लागू होगा। पुनः फिर से दावा लाने का क्या औचित्य है। अपीलाण्ट के पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि संयुक्त आय से अर्जित आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में क्या त्रुटि की है। कुछ नहीं बताया। दावा दायरी के समय अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा ही नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1986 पेज 6 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वादीगण अपीलाण्ट ने अपने दावे में यह कही उल्लेख नहीं किया है कि कौन से गत खसरा नम्बर मृतक शोभाराम की पैतृक सम्पत्ति है तथा कौन से गत खसरा नम्बर रैस्पो0 की स्वःअर्जित सम्पत्ति है। जमाबन्दी संवत 2010–13 के खाता संख्या 104 व 106 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी गनपत की स्वःअर्जित आराजी है। इसी प्रकार यादी का नाम जमाबन्दी संवत 2006 के खाता संख्या 143–174 पर व जमाबन्दी संवत 2010–13 के खाता संख्या 96–101–105–117–157 पर गैर मौरूसी अंकित है। इस प्रकार रैस्पो0 के पूर्व पुरूष को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आते समय खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। वादग्रस्त भूमि बाबत् पूर्व में भी उभयपक्षकारान के मध्य विवाद चला था जो राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा एवं राजस्व मण्डल अजमेर तक से निर्णित हो चुका है। उक्त निर्णयो में विवादित आराजी में से 27 बीघा 18 विस्वा को ही मृतक शोभाराम की पैतृक सम्पत्ति माना है एवं उक्त रकवा 27 बीघा 18 विस्वा का दाखिला खारिज संख्या 74 उसके चार पुत्रो सुखदर्शन, यादराम, गनपत, लक्ष्मीनारायन को हिस्सा बराबर दिनांक 04.04.1975 को स्वीकृत हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में हुये बयान एवं जिरह में भी अपीलाण्ट यह नहीं बता पाये हैं कि कितनी आराजी शोभाराम के नाम थी अर्थात पैतृक थी अथवा कितनी आराजी शोभाराम के पुत्रो की स्वःअर्जित थी। गवाह पीडब्ल्यू 3 ने जिरह बयान में स्वीकार किया है कि यादी व सुखदर्शन दादा शोभाराम के जीवानकाल में ही शोभाराम से अलग रहते थे। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट ने दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा वादी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के संबंध में अपने कब्जे काश्त को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है। स्वयं वादी के बयायन व उसके गवाह जो उसकी खास सगी बहिने आदि हैं ने भी कब्जे काश्त की पुष्टी अपनी जिरह बयानो में नहीं की है। इस प्रकार रैस्पो0 विवादित आराजी के 50 वर्षो से अभिलिखित खातेदार हैं एंव जब तक कोई प्रतिकूल साक्ष्य ना हो अभिलिखित खातेदार के कब्जे काश्त की ही अवधारणा की जाती है। दावा लाने से पूर्व वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त साबित करना विधि अनुसार आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2014 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.2.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर